FORM NO III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अ[illegible] अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सरदारा बनाम रामकिशन वगै.

किस्म मुक[illegible] 225 राज. काश्तकार अधि. नम्बर 303/ सन् 2019 (अजमेर)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री शिव प्रसाद जैन श्री भरत कुमार [illegible]	

सरदारा बनाम रामकिशन वगैरह

13.3.1[illegible]

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अपील व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय एवं लोक अदालत कैम्प प्रभारी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि लोक अदालत में सिर्फ उन्ही प्रकरण का निसतरण किया जा सकता है जिसमें दोनो पक्षकार सहमत हो जबकि उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा कोई सहमति कैम्प प्रभारी के समक्ष नहीं दी थी इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय एवं लोक अदालत कैम्प प्रभारी ने लोक अदालत कानूनी के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजी ग्राम मदारपुरा के साबिक खसरा नम्बर 289 जिसके वर्किंग जमाबंदी में नम्बर 669 बने है व आधार जमाबंदी में गत खसरा नम्बर 669 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 390, 391 व 392 कायम किये गये है। उक्त भूमि अपीलांट के पिता मेवा की जर खरीद भूमि होकर स्वअर्जित है, जिसे मेवा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 12.01. 2006 को 1 बीघा 13 बिस्वा की वसीयत सरदारा के पक्ष में निष्पादित कर उसे अपनी भूमि का वसीयती खातेदार बनाया है व कब्जा भी आराजी मुतनाजा पर सरदारा का ही चला आ रहा है। निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत पर भी साक्षी के रूप में सरदारा के दो भाईयों के हस्ताक्षर है व रामकिशन द्वारा वसीयत के विरूद्ध की गई शिकायत एफ.आई.आर. संख्या 40/2007 पर पूर्ण जॉच की जाकर विपक्षी की शिकायत निरस्त की जा चुकी है। नामान्तकरण संख्या 279 द्वारा विपक्षी को सुनकर आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण सरदारा के पक्ष में किया जा चुका है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी में कोई हिस्सा व हित निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2018 को प्रार्थी/अपीलांट को सर्वप्रथम उपरोक्त कानूनी निर्णय की जानाकरी हुई तत्पश्चात तुरन्त अभिभाषक से सम्पर्क किया तत्पश्चात अपील तैयार दिनांक 01.10.2018 को अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें हुई देरी सदभाविक होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.05.2017 को निरस्त किया जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेंन्ट ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस के पुश्तैनी सह-खातेदारी की भूमि है तथा अविभाजित भूमि है। अप्रार्थी/अपीलांट ने विवादित आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाये मौके पर उक्त कृषि भूमि का कीमती व अच्छे भाग को अपनी दर्शाकर बेचने की नियत से बेचान करने उतारू होने से अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को बेचान अथवा हस्तातंरण नहीं करने के आदेश दिये है। जिसमें किसी भी प्रकार त्रुटि

लगातार

राजस्व [illegible] प्राधिकारी
[illegible]मेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री ... श्री ...	

कारित नही की है। विवादित आराजी पुश्तैनी होने से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के हित निहित होते है या नहीं वाद पत्र में बाद साक्ष्य व सुनवाई के निर्धारित होगे तब तक भूमि का बेचान नहीं करने के आदेश जो विधि सम्मत है तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी अपील मियाद बाहर पेश की है इसलिए अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी का बेचान अथवा हस्तानान्तरण नहीं करने के लिए पाबंद किया है जो विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते तलबी नोटिस अप्रार्थीगण हेतु नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सूचित किये ही कैम्प कोर्ट ग्राम रसूलपुरा में उक्त पत्रावली नियत कर जो आदेश पारित किये है ऐसे प्रकरणों को मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2016–17(सप्ली)पेज 566 में लोक अदालत शिविर में एक पक्षीय आदेश को विधिक रूप से न्याय सम्मत नहीं माना है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश पारित किये है जो विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए पुनः आदेश पारित करे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय जो आदेश पारित किये गये वो एक तरफा आदेश पारित किये गये हैं इसलिए संभवतया इसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई हों। अपील में देरी होने बाबत् अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हैं तथा रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया एवं ना ही काउन्टर शपथ पत्र पेश किये हैं। न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

तत्पश्चात अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए न्यायालय हाजा के आदेश से तीन माह की अवधि में आदेश पारित करें। तब तब विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अवधि में आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2017 स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

13/3/18